प्रकरण संख्या–04 / 2021 GCMS ID-2021/21 तारीख रजु–11.02.2021

न्यायालय जिला कलक्टर, करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

लखन पुत्र सूसरिया उम्र 65 साल जाति गुर्जर निवासी रांडौली तहसील व जिला करौली (राज.)
– अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार करौली तह. व जिला करौली – प्रत्यर्थी

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 07.01.2021 न्यायालय नायब तहसीलदार करौली मुकदमा उनवानी सरकार बनाम लखन मु.नं. 410 / 2020 धारा 91 एल.आर. एक्ट में अपीलाण्ट को 90 दिन के सिविल कारावास एवं 2 / – रुपये पैनल्टी से दंडित किया है, के विरुद्ध तहत धारा 75 एल.आर. एक्ट

निर्णय दिनांक 19.07.2021

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नं. 1627 रकबा 95–08 बीघा किस्म गै.मु. चारागाह बाके ग्राम आडीहुडपुरा पटवार हल्का सैंगरपुरा तहसील करौली में से अपीलार्थी द्वारा 0–01 बीघा भूमि पर पाटौर 3 गह व कब्जा कर अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त अतिक्रमण की पुष्टि करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध वाद संस्थित किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया जिसकी पालना में अपीलार्थी उपस्थित आया लेकिन उसकी ओर से किसी प्रकार का लिखित अथवा मौखिक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलार्थी के पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने के कारण आदेश दिनांक 07.01.2021 पारित किया गया था जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील, अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि निर्णय दिनांक 07.01.2021 न्यायालय नायब तहसीलदार करौली रेस्पोण्डेण्ट खिलाफे कानून, रूहेदाद मिसल, पूर्णतया आरबिट्रेरी, परवर्स रेस्पोण्डेण्ट व विधि विरुद्ध है जो निरस्त होने योग्य है। निर्णय दिनांक 07.01.2021 पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को विधिवत् सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में जेर अपील निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त की अवहेलना कर एकपक्षीय पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। पटवारी हल्का सैंगरपुरा द्वारा अपीलाण्ट के विरुद्ध खसरा नम्बर 1627 रकबा 2 बीघा 02 विस्वा भूमि चारागाह ग्राम आडीहुडपुरा तहसील करौली पर कब्जा कर अतिक्रमण, कब्जा करने की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट 65 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है, काश्त करने की स्थिति में नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी जांच के यह रिपोर्ट धारा 91 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत की है जो विधि विरुद्ध है। अपीलाण्ट का खसरा नंबर 1627 के किसी भी रकबा पर कब्जा काश्त नहीं है। यदि उक्त विवादित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाता है तो अपीलार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। अपीलाण्ट इस संदर्भ में अण्डरटेकिंग पेश करने को तैयार है। ऐसी स्थिति में जेर अपील निर्णय दिनांक 07.01.2021 अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है और पत्रावली पुनः सुनवाई को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने योग्य है। निर्णय दिनांक 07.01.2021 का है जिसकी नकल आवेदन अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 29.01.2021 को प्रस्तुत किया गया है। नकल तैयार कर दिनांक 08.02.2021 को अपीलाण्ट को सुपुर्द की गई है। नकल में लगे समय को मुजरा करते हुए अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार ने बहस में कथन किया है कि ग्राम आडीहुडपुरा के आराजी खसरा नं. 1627 रकबा 0–01 बीघा किस्म चारागाह में श्री लखन पुत्र सूसरिया जाति गुर्जर

जिला कलक्टर
करौली

निवासी रांडौली द्वारा 3 गह पाटौर पोश व कब्जा कर अतिचार करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का सैंगरपुरा द्वारा पेश की गई, अतिक्रमण की पुष्टि भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त गुडला द्वारा की गई थी। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध वाद दर्ज किया जाकर अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया था जिसकी पालना में अपीलार्थी स्वयं उपस्थित हुआ लेकिन उसके द्वारा किसी प्रकार का लिखित व मौखिक जवाब पेश नहीं किया गया। अतिक्रमी का मौर स्वरूप मौके से अतिक्रमण हटाने का नहीं है जिससे यह प्रतीत होता है कि अतिक्रमी मौके से अतिक्रमण हटाना नहीं चाहता है। पटवारी हल्का को सुना गया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि अतिक्रमी ने उक्त खसरा नंबर पर 3 गह पाटौर पोश व कब्जा किया हुआ है। चूंकि भूमि की किस्म चारागाह है जो आमजन के मवेशियों के चराई के काम आती है। आमजन के मवेशियों के उपभोग के लिये उक्त भूमि को खाली करवाने हेतु कार्यवाही किया जाना उचित है। उक्त अतिक्रमी द्वारा संवत् 2076 में भी अतिक्रमण किया गया था जिसे तत्समय ही मौके से बेदखल कर दिया गया था, परंतु अतिक्रमी का यह अतिक्रमण पश्चात्वर्ती अतिक्रमण है जिसके कारण अतिक्रमी को तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया। न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत् सुनवाई कर आदेश जारी किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्षयों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा आराजी खसरा नं. 1627 रकबा 95–08 बीघा किस्म गै.मु. चारागाह बाके ग्राम आडीहुडपुरा पटवार हल्का सैंगरपुरा तहसील करौली में से अपीलार्थी द्वारा 0–01 बीघा भूमि पर 3 गह पाटौर व कब्जा कर अतिक्रमण किया गया था जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई थी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त अतिक्रमण की पुष्टि की गई थी। तत्पश्चात् अपीलार्थी स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं कोई लिखित अथवा मौखिक जवाब पेश नहीं किया गया। अपीलार्थी के पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पूर्ववर्ती निर्णय दिनांक 26.06.2019 की प्रति व अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेकिंग की प्रति शामिल की है। इस कारण प्रत्यर्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 07.01.2021 पारित किया गया था। अपीलार्थी का कथन है कि उक्त भूमि पर उनका कब्जा नहीं है। उक्त पाटौर को हटाये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है एवं अपीलार्थी इस संबंध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने को तैयार है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा उक्त आराजी पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया गया है एवं अपीलार्थी द्वारा भविष्य में उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसलिये अपीलार्थी को भविष्य में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं किये जाने हेतु पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

अतः अपील, अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। नायब तहसीलदार करौली को आदेश दिये जाते हैं कि वे जैर अपील विवादित भूमि से अतिक्रमण को नियमानुसार कार्यवाही उपरांत हटाना सुनिश्चित करे। यदि अपीलार्थी उक्त अतिक्रमण को हटाने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डालता है तथा भविष्य में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं करेगा एवं यदि वह अतिक्रमण करता है तो उसके बाद होने वाली समस्त कार्यवाही का वह स्वयं जिम्मेदार रहेगा, इस आशय का शपथ–पत्र इस निर्णय से 15 दिवस के अंदर न्यायालय नायब तहसीलदार करौली में एवं प्रति इस न्यायालय में पेश कर देता है तो नायब तहसीलदार करौली का उक्त आदेश दिनांक 07.01.2021 अपास्त रहेगा अन्यथा उक्त आदेश दिनांक 07.01.2021 यथावत् रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली